

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 05/2021  
GCMS ON LINE NO. 2021/6

निर्णय दिनांक: 14.7.2021

मोहनलाल पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला  
बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपरिस्थिति:-


1. श्री सोहननाथ सिद्ध अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एच आर एक्ट

यह प्रार्थना पत्र मोहनलाल ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1020 तादादी 0.0200 हैक्टैयर गै. मु. कुआ खसरा नम्बर 2080/1512 तादादी 0.4994 हैक्टैयर गै.मु. वाणिज्यक, खसरा नम्बर 2085/2081 तादादी 4.1206 हैक्टैयर जिसमें 3.00 हैक्टैयर चाही व 1.1206 हैक्टैयर बारानी है, जो रोही ग्राम शेरूणा में स्थित है। खसरा नम्बर 1020 तादादी 0.0200 हैक्टैयर है, जिसको नक्शा एक्स व चुनरी में तो सही दर्शाया गया है, परन्तु रिकार्ड को आनलाईन करते समय खसरा नम्बर 1020 का नक्शा वास्तविकता से बढकर दर्शाया जाकर अपलोड कर दिया गया परन्तु आनलाईन में अपलोड करते समय खसरा नम्बर 1020 का नक्शा इतना बड़ा दर्शाया गया है कि उसमें खसरा नम्बर 2080/1512, 2085/2081 भी सामहित होगया है। खसरा नम्बर 2085/2081 के दो भागअ 2084/2081 व खसरा नम्बर 2085/2081 होगयेहै, परन्तु आनलाईन किये गये नक्शा में खसरा नम्बर 1020 तादादी 0.0200 हैक्टैयर गै.मु. कुआ का क्षेत्रफल वास्तविक से काफी बड़ा अपलोड होने से खसरा नम्बर 2080/1512, 2085/2081 खसरा नम्बर 2084/2081 नक्शा में दर्शित नहीं हो पा रहे हैं। जिसमें काफी परेशानी हो रही है। खसरा नम्बर 1020 का नक्शा अप्रार्थी के महादत कर्मचारियों द्वारा अपलोड किया गया है तथा अप्रार्थी के हस्ताक्षर सेही पर अपलोड हुआ है। आनलाईन राजस्व विभाग की वेबसाईड पर गलत अपलोड कर दिये जाने से आनलाईन सत्यापन करने पर खसरा नम्बर 1020 का नक्शा वास्तविक नक्शा से मेल नहीं खाता है तथा खसरा नम्बर 2080/1512, 2085/2081 व उसका भाग 2084/2081 तथा अन्य नक्शा 2081/1512 दर्शित नहीं होते हैं, जिसके काफी परेशानी होती है तथा नक्शा का आनलाईन सत्यापन नहीं किया जा सकता। खसरा नम्बर 1020 तादादी 0.0200 हैक्टैयर का नक्शा वास्तविकता के विपरीत आनलाईन गलत दर्ज करना लिपिकीय भूल है, जिसे किसी भी समय दुरुरस्त किया व करवाया जा सकता है। यह है प्रार्थी ने अप्रार्थी से निवेदन किया कि वोखसरा नम्बर 1020 तादादी 0.0200 हैक्टैयर रोही शेरूणा का आनलाईन अपलोड किय गये गलत नक्शा को



  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वास्तविकता के हिसाब से सही करवाकर अपलोड कर देवे तो अप्रार्थी ने ऐसा करने से असमर्थता प्रकट की तथा श्रीमानजी के समक्ष कार्यवाही करने का कहा, तब प्रार्थी को श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हुआ है। यह है कि प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। यह है कि प्रार्थना पत्र निर्धारित कोर्ट फिस पर प्रस्तुत की जा रही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खसरा नम्बर 1020 तादादी 0.0200 हैक्टैयर रोही शेरुणा का नक्शा सही कर व खसरा नम्बर 2084/2081, 2080/1512, 2085/2081, 2081/1512 को भी राजस्व विभाग की साईट व सम्बन्धित वेबसाईट पर अंकित करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जावे।


प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया। यदि खसरा नम्बर 1020, 2084/2081, 2080/1512, 2085/2081 रोही शेरुणा में वर्तमान अक्स में मुताबिक संलग्न-प्रस्तावित अक्स के शुद्धि आदेश पारित किये जाते हैं तो हमे कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

#### आदेश

खेत खसरा नम्बर 1020 तादादी 0.0200 हैक्टैयर रोही शेरुणा का नक्शा सही करने व खसरा नम्बर 2084/2081, 2080/1512, 2085/2081, रोही शेरुणा का राजस्व विभाग की साईट पर शुद्ध करने के आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते हैं। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व अक्स /रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक 14.7.21 को सरे इजलास मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हों। आदेश सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ़

